राजस्थान—सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर ।

कमांकः—ई—12/एम/(281)/09/ दिनांकः—

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
जोन, राजस्थान ।

विषयः— अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में ।
संदर्भः— निदे0 का पूर्व पत्र कमांक 1194 दिनांक 19.11.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र के द्वारा कार्मिक(क—2) विभाग, राज0 जयपुर की अ.शा.टीप कमांकः प.5(2)कार्मिक/क—2/2008 पार्ट—I दिनांक 17.8.09 के साथ अधिसूचना दिनांक 29.2.09 एंव 8.7.09 की प्रति जिसमें राज्य सरकार द्वारा च0श्रे0कर्मचारी सेवा नियम संशोधित सेवा नियमों में संशोधन कर नियमितिकरण संबंधित प्रावधान किया गया है फोटो प्रतियॉ संलग्न कर आपके जोन के अधिन कार्यरत समस्त चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों में ऐसे कितने प्रकरण है के कम में सूचना प्राप्त कर एंव संकलित कर विशेष वाहक के साथ अविलम्ब निदेशालय को भिजवाने बाबत लिखा गया था, जो आपसे अपेक्षित है ।

अतः पुनः अधिसूचना की फोटो प्रतियॉ संलग्न कर आपके जोन के अधिन कार्यरत समस्त चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों में ऐसे कितने प्रकरण है के कम में सूचना प्राप्त कर एंव संकलित कर विशेष वाहक के साथ अविलम्ब निदेशालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण एकल पत्रावली के तहत कार्यवाही हेतु प्रशासनिक विभाग को भिजवाया जा सके । प्रकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जावेगा ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

कमांकः—ई—12/एम/(281)/09/1261 दिनांकः— 15-12-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1— उप शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग, राज0 जयपुर ।
2— परियोजना निदेशक(एन0 आर0 एच0 एम0/ आर0 एच0 एस0 डी0 पी0), मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।
3— निदेशक(एड्स/प0क0/आई.ई.सी.), मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।
4— निदेशक, मोबाईल सर्जीकल यूनिट, राज0 जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।
6— समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।
7— समस्त प्रभारी सार्वजनिक विश्लेषक/औषधि नियंत्रक प्रयोगशाला, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरण में आपके अधिन कार्यरत कार्मिकों की सूचना तैयार कर भिजवायें ।
8- प्रभारी सर्वर रूम, क० नं० 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त प्रकरण को विभागीय वेबसाईट पर डालने का श्रम करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A- Group-II)

No. F. 5(2) DOP/A-II/2008 Jaipur, dated: 27-02-09

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 6** .- After sub-rule (3) to rule 6 of the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999 hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

   "(4) Notwithstanding anything contained in these rules the persons irregularly appointed on any duly sanctioned posts mentioned in column number 2 against serial number 4 of schedule and completed ten years service on 10-4-2006, without intervention of any court or tribunal, and continuously working as such on the date of commencement of these amendment rules, shall be screened by a committee consisting of-

   (i) Principal Secretary / Secretary to the Government, Department of Personnel;

   (ii) Principal Secretary / Secretary to the Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and

   (iii) Principal Secretary/ Secretary to the Government, of the concerned department.

   Provided they were eligible for appointment, as per rules on the date of their initial irregular appointment and vacancy is available at the time of screening. The Appointing Authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable by the screening committee and appointment shall be effective from the date of issue of such appointment order.

(3) **Amendment of rule 32** .- After the existing proviso (5) of rule 32 of the said rules following new proviso (6) shall be added, namely:-

"(6) the inter-se seniority of the persons screened under sub-rule (4) of rule 6 shall be determined according to the length of continuous service after their irregular appointment. These persons shall rank junior to the persons appointed regularly before the commencement of these amendment rules."

By Order and in the name of the
Governor,

(B. K. Dosi)
Deputy Secretary to the Government

6/09

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 5(2)डीओपी/ए–II/2008/पार्ट–I   जयपुर, दिनांक: 8/7/2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.– इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ सं. 3 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् ठीक अगली कम संख्यांक पर निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"ऐसे व्यक्तियों को, जो सम्यक् रूप से स्वीकृत पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त किये गये थे और जिन्होंने किसी न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना 10.4.2006 को दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और इन संशोधन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को इस रूप में निरन्तर कार्य कर रहे हों, निम्नलिखित से गठित समिति द्वारा स्कीन किया जायेगा:–

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के मामले में–

(i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य;
(ii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग;
(iii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका कोई नामनिर्देशिती; और
(iv) संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ;

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के मामले में–
(i) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग ;
(ii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका कोई नामनिर्देशिती ;
(iii) संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव:

बशर्ते कि वे अपनी प्रारंभिक अनियमित नियुक्ति की तारीख को नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए पात्र थे और स्कीनिंग के समय रिक्ति उपलब्ध हो। नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति के नियुक्ति आदेश जारी करेगा जिसे स्कीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त विनिर्णित

किया जाये और नियुक्ति, ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।"

(3) संशोधन.– इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् ठीक अगली कम संख्यांक पर निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"भर्ती की रीति से संबंधित नियम में इन संशोधन नियमों द्वारा जोड़े गये परन्तुक के अधीन स्क्रीन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी अनियमित नियुक्ति के पश्चात् निरन्तर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी। ये व्यक्ति इन संशोधन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व नियमित रूप में नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।"

अनुसूची

क0सं0	सेवा नियमों का नाम	नियम की सं.	नियम की सं.
1	2	3	4
1	राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973	6	28
2	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	6	27
3	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	6	34
4	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6	32
5	राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6	33
6	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	6	32
7	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	6	31
8	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी–I) नियम, 1955	7	31
9	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी–II) नियम, 1955	7	27
10	राजस्थान खान एवं भूगर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	7	28
11	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	6	31
12	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6	29
13	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6	27
14	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6	28
15	राजस्थान उद्यान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6	28

16	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6	28
17	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6	30
18	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6	29
19	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	6	28
20	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	6	28
21	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	6	29
22	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	6	29
23	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	6	28
24	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6	27
25	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6	30
26	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सा.नि.वि. भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	6	31
27	राजस्थान भू–जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6	31
28	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6	31
29	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6	31
30	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	6	27
31	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6	27
32	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	6	27
33	राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम,1975	6	31
34	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6	31
35	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	6	26
36	राजस्थान राज्य उपकम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	6	26
37	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	6	30
38	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	6	32
39	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	6	27

40	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	6	27
41	राजस्थान सर्किट हाउस अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	6	31
42	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	6	31
43	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6	39
44	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	7	39
45	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	6	37

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(बी० के० दोसी)
शासन उप सचिव
उप शासन सचिव
कार्मिक (क-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

12/2009

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A- Group-II)

No. F. 5(2) DOP/A-II/2008 Pt.-I Jaipur, dated: 8/7/2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as specified in the Schedule appended herewith, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment** .- After the existing last proviso to rule as mentioned in Column No. 3 against each of the Service Rules as mentioned in Column No. 2 of the Schedule appended herewith, the following new proviso at the next serial number shall be added, namely:-

" the persons, irregularly appointed on duly sanctioned posts and completed ten years service on 10-04-2006, without intervention of any court or tribunal, and continuously working as such on the date of commencement of these amendment rules, shall be screened by a committee consisting of-

(a) **in case of posts falling within the purview of the Commission:-**
(i) Chairman of commission or a member nominated by him;
(ii) Pr. Secretary / Secretary to the Government, Department of Personnel;
(iii) Pr. Secretary/Secretary to the Government, Finance Department, or his nominee not below the rank of Deputy Secretary; and
(iv) Pr. Secretary/Secretary to the Government, of the concerned department;
(b) **in case of the posts outside the purview of the Commission:-**
(i) Pr. Secretary / Secretary to the Government, Department of Personnel;
(ii) Pr. Secretary/Secretary to the Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
(iii) Pr. Secretary/Secretary to the Government, of the concerned department;

13.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963.	6	27
14.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963.	6	28
15.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965.	6	28
16.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965.	6	28
17.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966.	6	30
18.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966.	6	29
19.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967.	6	28
20.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967.	6	28
21.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968.	6	29
22.	The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971.	6	29
23.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971.	6	28
24.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973.	6	27
25.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973.	6	30
26.	The Rajasthan Subordinate Engineering (P.W.D., B.&. Branch) Service Rules, 1973.	6	31
27.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973.	6	31
28.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974.	6	31
29.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974.	6	31
30.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974.	6	27
31.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975.	6	27
32.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975.	6	27
33.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975.	6	31
34.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975.	6	31

35.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976.	6	26
36.	The Rajasthan State Enterprise Subordinate Service Rules, 1976.	6	26
37.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977.	6	30
38.	The Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules, 1978.	6	32
39.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979.	6	27
40.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979.	6	27
41.	The Rajasthan Circuit Houses Subordinate Service Rules, 1979.	6	31
42.	The Rajasthan Police Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980	6	31
43.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998.	6	39
44.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001.	7	39
45.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999.	6	37

By Order and in the name of the
Governor,

(B.K. Dosi)
Deputy Secretary to the Government

उप शासन सचिव
कार्मिक (क-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

12/2009.